J.O./I.D. N0. UP 6095

न्यायालय – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या– एक, कासगंज

अध्यासीन – रत्नेश कुमार श्रीवास्तव (एच0जे0एस0)

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 870 / 2026

CNR UPKR01-001957-2026

प्रिन्स कालू उर्फ प्रिन्स कुमार सबिता पुत्र बबलू उर्फ राजेश कुमार, निवासी मौहल्ला जय जय राम, गली लोधियान, थाना कासगंज, जनपद कासगंज।

.....अभियुक्त।

बनाम

01– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' कासगंज,

02– श्रीमती अनीता पत्नी भूपेष, निवासी मौहल्ला धनपाल, कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज।

मुकदमा अपराध संख्या– 227 / 2017
धारा– 363, 366ए भारतीय दंड संहिता।
थाना– गंजडुण्डवारा।
जनपद – कासगंज।

01–06–2026

01– अभियुक्त प्रिन्स कालू उर्फ प्रिन्स कुमार सबिता पुत्र बबलू उर्फ राजेश कुमार की तरफ से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में अभियुक्त ने स्वयं के शपथपत्र को प्रस्तुत किया है।

02– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त नितान्त निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में रंजिशन मिथ्या दोषारोपित किया गया है। अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। उपरोक्त में घटना

Digitally signed by RATNESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.01 15:49:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 23–07–2017 को सुबह 10:00 बजे की दर्शायी गयी है, जिसकी प्राथमिकी दिनांक 08–08–2017 को समय करीब 10.30 बजे करीब 15 दिन विलम्ब से पंजीकृत कराई गयी है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। उक्त मामले में प्रार्थी /अभियुक्त को न्यायालय द्वारा धारा–319 दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से जरिये सम्मन तलब किया गया है। उक्त मामले में विवेचक द्वारा अपनी संपूर्ण विवेचना करने के उपरान्त प्रार्थी / अभियुक्त के नाम की नामजदगी झूठी पाते हुए विवेचक ने अभियुक्त अनुज मिश्रा के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। उक्त मामले के चश्मदीद साक्षी वादी मुकद्दमा की माता मिथलेश ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दंड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया है कि ''मैं सहावर चौराहे से जब बस से उतरकर अपने घर मौहल्ला केवल जा रही थी, तभी मैंने अपनी लडकी अनीता की पुत्री को प्रिन्स अपने साथ मोटर साईकिल से ले जा रहा था, उस समय मैने आवाज दी, तो प्रिन्स ने मोटर साईकिल को तेज कर लिया।'' इस प्रकार चश्मदीद साक्षी एवं वादी के बयानों में काफी विरोधाभास है। चश्मदीद साक्षी के बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वादी मुकद्दमा ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया है कि तथाकथित घटना को दो व्यक्तियों ने अंजाम दिया है। उक्त मामले में पीड़िता सौम्या ने धारा–161 दंड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया है कि ''मेरे चाचा का बेटा है जिसका नाम प्रिन्स है, वो कासगंज में रहते हैं और उससे मेरी जान पहचान हो गयी। दिनांक 23–07–2017 को मेरे पास प्रिन्स ने अनुज पुत्र कैलाश निवासी जिन्हैरा थाना मिरहची तथा रवि पुत्र बुद्धसैन निवासी जय जय राम कासगंज को भेजा कि सौम्या को ले आओ, मेरी बात हो गयी है। ये दोनों मेरे पास आये और मुझे बहला फुसलाकर कासगंज प्रिन्स के पास ले गये। प्रिन्स ने इन दोनों से कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इन दोनों के साथ भेज दिया तथा प्रिन्स ने कहा था इसको ले जाओ। मैं एक दो दिन में आ जाऊंगा, दोनों मुझे घुमाते फिराते रहे और अलीगढ़ ले गये, जहां जगह जगह घुमाते रहे, आज मैं अनुज के साथ रेलवे स्टेशन कासगंज पर कही जा रही थी तो पुलिस आ गयी।'' इस प्रकार पीड़िता के बयान धारा–161 दंड प्रक्रिया संहिता ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है बल्कि यह बताया गया है कि तथाकथित घटना के समय प्रार्थी / अभियुक्त वहां मौजूद नहीं था

और ना ही प्रार्थी / अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर लेकर आया है। पीड़िता ने अपने बयानों में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त उसके चाचा का बेटा है। इस प्रकार प्रार्थी / अभियुक्त का तथाकथित घटना कारित किया जाना कतई अस्वभाविक प्रतीत होता है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा–164 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया है। वादी मुकद्दमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयानों में बताया है कि ''प्रिन्स और उसका भाई कालू मेरी बेटी को घर से बहला फुसलाकर ले गये।'' चश्मदीद साक्षी मिथलेश ने अपने बयानों में बताया है कि ''प्रिन्स मोटर साईकिल से पीड़िता को भगाकर ले जा रहा है।'' जबकि धारा–161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में पीड़िता ने बताया है कि ''अनुज और रवि को मुझे घर से बुलाने के लिए प्रिन्स ने भेजा था जबकि अपने बयान धारा–164 दंड प्रक्रिया संहिता में पीड़िता ने बताया है कि तथाकथित घटना वाले दिन मैं 11 बजे दिन कोचिंग पढने जा रही थी, तभी कोचिंग सेन्टर के पास प्रिन्स व उसके दो दोस्त अनुज व रवि मिले और तीनों लोग मुझे जबरदस्ती कासगंज बस से ले आये थे।'' इस प्रकार पीड़िता एवं वादी मुकद्दमा एवं चश्मदीद साक्षी के बयानों में काफी विरोधाभास हैं, जो आपस में मेल नहीं खाते हैं। उक्त मामले में पीड़िता ने मेडीकल से पूर्व डाक्टर जो बयान दिये थे, उस बयान में पीड़िता ने घटना 23–07–2017 के स्थान पर 22–07–2017 समय 11:30 बजे की बताते हुए कथन किया है कि ''गंजडुण्डवारा से प्रिन्स के दोस्त मुझे कासगंज लाने के लिए गये। प्रिन्स जिसे मैं लगभग चार माह से प्यार करती थी, उसके दोनों दोस्तों के साथ मैं कासगंज आ गयी। कासगंज में मेरी बुआ के बेटे का जन्मदिन था। दिनांक 23–07–2017 को मैं प्रिन्स के दोनों दोस्तों के साथ अलीगढ़ चली गयी थी। अलीगढ़ से दिनांक 28–07–2017 को उन्हीं दोस्तों के साथ मैं पाठकपुर विशाल के घर गयी, वहां लगभग 05–15 दिन रूकी, विशाल ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस प्रकार पीड़िता के बयानों में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त मामले में वादी मुकद्दमा ने पुलिस अधीक्षक, कासगंज को एक शपथ पत्र के माध्यम से अपना बयान विवेचक को दिनांक 16–08–2017 को भिजवाते हुए यह कथन किया है कि दिनांक 23–07–2017 को समय करीब 10:00 बजे सुबह शपथकर्ती की पुत्री सौम्या को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में

उपरोक्त मुकद्दमा थाना गंजडुण्डवारा पर पंजीकृत कराया था। जिसमें शपथकर्ती ने मौहल्ले वालों के वहकावे / गलतफहमी में आकर एवं उनके कहे अनुसार उपरोक्त मुकद्दमा के अभियुक्तगण प्रिन्स व कालू को झूठा नामजद कर दिया था। जबकि वास्तविकता यह है कि शपथकर्ती की पुत्री सौम्या वैदिक कन्या इण्टर कालेज गंजडुण्डवारा में कक्षा 9 की छात्रा है तथा मेरे द्वारा पुत्री सौम्या को पढाई की बावत डांट फटकारने के कारण वह घर से नाराज होकर रिश्तेदारी अथवा कही चली गयी है। इस घटना में प्रिन्स व कालू का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और ना ही इनके द्वारा मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का कोई कृत्य किया गया है। शपथकर्ती उपरोक्त मुकद्दमा में किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाना नहीं चाहती है तथा उक्त मामले में वादिया का मजीद बयान सी. डी.–08 में विवेचक को दिया है उसमें भी वादी मुकद्दमा ने यह बताया कि हमारी रंजिश चल रही थी और उसी रंजिश के कारण मैंने प्रिन्स व कालू को फंसा दिया है, क्योंकि उसके परिवारवालों से हम पर परिवार वालों के उधारी के पैसे थे, वो हमसे पैसे न मांगें इस कारण। उक्त मामले में वादी मुकद्दमा, पीड़िता एवं सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं जिस कारण न्यायालय द्वारा मुख्य अभियुक अनुज मिश्रा को दिनांक 29–01–2026 को दोषमुक्त किया जा चुका है। उक्त मामले में प्रार्थी / अभियुक्त को महज पारिवारिक रंजिश कारण झूठा नामित किया गया है क्योंकि प्रार्थी / अभियुक्त के पिता के रूपये वादी मुकद्दमा अनीता पर है, जो कि प्रार्थी / अभियुक्त की ताई लगती हैं और पीड़िता सौम्या प्रार्थी / अभियुक्त की तहेरी बहिन है, महज उक्त पैसों के लेन देन के कारण प्रार्थी / अभियुक्त को उक्त मामले में झूठा नामजद किया गया है तथा प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मामले में झूठे बयान दिये गये हैं। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा पीड़िता को ना तो बहला फुसलाकर भगाकर ले जाया गया है और ना ही किसी प्रकार की कोई घटना कारित की गयी है। वादी मुकद्दमा द्वारा लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार हैं। प्रार्थी/अभियुक्त गरीब मजदूर व्यक्ति है। प्रार्थी / अभियुक्त अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करके करता है। प्रार्थी/ अभियुक्त सम्भ्रान्त एवं शान्तिप्रिय एवं कानून को मानने वाले व्यक्ति है तथा प्रार्थी / अभियुक्त अच्छे परिवार से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति है। उपरोक्त मामले में प्रार्थी / अभियुक्त की गिरफ्तारी की

पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी / अभियुक्त सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है। अगर प्रार्थी / अभियुक्त की गिरफ्तारी होकर प्रार्थी / अभियुक्त जेल में निरूद्ध होता है तो प्रार्थी / अभियुक्त का भविष्य पूरी तरह बरबाद हो जायेगा। प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया है, इसी कारण प्रार्थी/ अभियुक्त के नाम की नामजदगी झूठी पाते हुए विवेचक द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त का नाम विवेचना से पृथक किया गया है। उक्त मामला सात वर्ष के कम के कारावास से दण्डनीय है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **Satendra Kumar Antil V/s Central Bureau of Investigation & anr- Special Leave to Appeal (Crl-) No-5191/2021** निर्णीत दिनांक–11–07–2022 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त जमानत पाने का मुश्तहक है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **Sidharth Varadarajan V/s State of Utter Pradesh Anticipatory Bail App- No- 2776 of 2020** आदेश दिनांक–15–05–2020 में यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत व नियमित जमानत एक ही श्रेणी में आती है तथा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात भी अग्रिम जमानत दौरान विचारण सशर्त प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एल.एल. 2021 एस0सी0 391 क्रिमिनल अपील संख्या 838 सन् 2021 सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा क्रिमिनल अपील संख्या 929 सन् 2021 अमन प्रीत सिंह बनाम् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा डायरेक्टर में विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि विवेचना के दौरान अभियुक्त पक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो आरोप पत्र आने के उपरान्त न्यायालय की संस्तुति व शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत प्रदान की जा सकती है। प्रार्थी / अभियुक्त उपरोक्त पते का मूल निवासी है तथा उसके न्यायिक प्रक्रिया से बचकर भागने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्त इस बात की अण्डरटेकिंग देने को तैयार है कि जब भी न्यायालय उसको बुलायेगी, वह अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। आवेदक/ अभियुक्त इस बात की भी अण्डरटेकिंग देने को तैयार है कि वह किसी भी तरीके से साक्ष्य अथवा साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा तथा उस पर न्यायालय द्वारा जमानत के दौरान जो भी शर्ते अधिरोपित की जाती हैं उनको मानने के लिए वह स्वीकार करेगा व न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगा। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने व इस हेतु स्वयं द्वारा अण्डरटेकिंग व उचित जमानत

दिये जाने की याचना करते हुए, दौरान मुकदमा विचारण इस प्रकरण में स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

03– प्रकरण की वादिया को जमानत प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रेषित की गयी, जो उस पर व्यक्तिगत रूप से तामील हुयी, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

04– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकरण की प्राथमिकी वादिया श्रीमती अनीता पत्नी भूपेष के द्वारा अभियुक्त व सह अभियुक्त को नामजद करते हुए दिनॉक 08–.08–2017 को समय 10:30 बजे, थाना गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज पर इस कथन के साथ पंजीकृत करायी गयी कि मेरी लडकी सौम्या कक्षा 9 में वैद्य कन्या इण्टर कॉलेज, गंजडुण्डवारा में पढती है, उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। मेरे घर पर प्रिन्स पुत्र बबलू निवासी तकिया मौहल्ला कासगंज का आना जाना था। दिनांक 23–07–2017 को मेरी लडकी घर पर अकेली थी, समय 10:00 बजे सुबह के लगभग प्रिन्स तथा उसका भाई कालू आया तथा मेरी लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया, सहावर चौराहे पर मेरी मां मिथलेश तथा अन्य लोगों ने देखा है, मेरी लडकी अबोध बच्ची है। अब तक मैंने लडकी को काफी तलाशा, परन्तु नहीं मिली। अब तक ये दोनों या इसका परिवार लडकी वापिस करने को कहता रहा लेकिन लडकी वापिस नहीं की। उक्त आधारों पर रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की, जिस पर यह अपराध पंजीकृत हुआ। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि वादिया व अन्य साक्षीगण ने सह सम्बन्धित प्रकरण में इस जमानत प्रार्थनापत्र में विचारणीय अभियुक्त की आपराधिक संलिप्तता के बावत स्पष्ट कथन किये हैं तथा वादिया पक्ष को अभियुक्त को मिथ्या नामित करने का कोई हेतुक प्राप्त नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की।

05– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

06– यह उल्लेखनीय है कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पी. चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रिमिनल अपील नंबर– 1340/2019 निर्णीत दिनांक 09–09–2019** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए, जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

07– इसके अतिरिक्त **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) एवं अन्य ए0 आई0 आर0 ऑनलाइन 2020 (एस0 सी0) पृष्ठ 74** में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषिसिद्ध आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुँचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा 34 व धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

08– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक/ अभियुक्त प्रिन्स कालू उर्फ प्रिन्स कुमार सबिता को वादिया श्रीमती अनीता के द्वारा सह अभियुक्त अनुज मिश्रा के साथ नामजद किया गया है, परन्तु प्रकरण उपरोक्त में बाद विवेचना इस आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा वॉछित धाराओं में आरोपपत्र प्रेषित न करते हुए मात्र सह अभियुक्त अनुज मिश्रा के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया। इसी क्रम में इस अपराध में अभियोजन साक्ष्य अंकन के क्रम में विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 23ब अन्तर्गत धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता प्रकरण के प्रस्तावित अभियुक्त को तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण आदेश दिनॉकित

27–05–2022 से करते हुए तत्कालीन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या– एक, कासगंज ने अपने आदेश में यह मत व्यक्त किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक प्रिंस का नाम दर्शित है तथा प्रकरण की पीडिता सौम्या ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में भी स्पष्ट रूप से आवेदक प्रिन्स का नाम अंकित कराया है तथा यदि हम पीडिता ने उक्त बयान का अवलोकन करें तो उसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि ''वह अपने मन से बयान दे रही है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। इस समय वह कक्षा 09 में गंजडुण्डवारा में ही पढ़ रही है। प्रिन्स को वह जानती है, वह उसका रिश्तेदार है। चचेरा भाई है, जो कासगंज में रहता है। वह दिनॉक 23–07–2017 को दिन में 11 बजे कोचिंग में पढ़ने जा रही थी। कोचिंग सैण्टर के पास प्रिन्स और उसके दो दोस्त रवि और अनुज मिले। तीनों लोग उसे जबरदस्ती बस से कासगंज ले आये। प्रिन्स ने उसे चाय में नशा वाली चीज पिला दी। जब उसे होश आया तब वह अलीगढ में थी।'' इस प्रकार प्रकरण की पीडिता ने इस जमानत प्रार्थनापत्र में विचारणीय अभियुक्त की प्रकरण में आपराधिक संलिप्तता का स्पष्ट कथन किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण में से साक्षी संख्या– 1 वादिया मुकदमा अनीता व पी0डब्लू0 2 मिथलेश व पी0डब्लू0 6 स्वयं पीडिता के बयानों के अवलोकन से पाया गया कि उक्त समस्त साक्षीगण ने अभियुक्त प्रिन्स की घटनास्थल पर उपस्थिति व अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्त होने सम्बन्धी सम्पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त आदेश से आवेदक/ अभियुक्त को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए धारा 363, 366 ए भारतीय दंड संहिता के अधीन तलब करने का आदेश पारित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को दिनॉक 06–06–2022 हेतु जरिये सम्मन् उपस्थित होने का आदेश दिया। आवेदक/ अभियुक्त प्रिन्स लगातार स्वयं के विरूद्ध जारी बी0डब्लू0, एन0बी0डब्लू0, 82 व 83 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाहियॉ किये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहा। जिस कारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनॉकित 18–12–2024 के जरिये इस अभियुक्त का प्रकरण पृथक किया गया तथा अन्य विचारणीय अभियुक्त अनुज मिश्रा के बावत पृथक से निर्णय दिनॉक 29–01–2026 को

पारित किया गया। यहीं यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि यह सही है कि प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्यों में कुछ विरोधाभासी तथ्य मौजूद हैं, परन्तु जब कोई साक्षी विवेचना के उपरान्त न्यायालय में अपना साक्ष्य कुछ समय उपरान्त अंकित कराता है तो ऐसे किसी भी साक्षी से रटे–रटाये साक्ष्य की उम्मीद नहीं की जा सकती तथा उसके साक्ष्य में कुछ अर्न्तविरोधी तथ्यों का आना स्वाभाविक है। जहॉ तक प्रश्न सह अभियुक्त अनुज मिश्रा के बावत पारित किये गये निर्णय में अंकित साक्षीगण के साक्ष्य का है तो जमानत के स्तर पर परीक्षित साक्षियों के बयानों पर मत व्यक्त किया जाना प्रकरण के गुण–दोष को प्रभावित करेगा, जो कि न्यायोचित नहीं है तथा अब इस जमानत प्रार्थनापत्र में विचारणीय अभियुक्त के विरूद्ध, उसका वाद पृथक हो जाने के कारण, अभियोजन अलग से अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसकी बावत पूर्वानुमान व्यक्त किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक/ अभियुक्त कोई भी ऐसा ठोस आधार दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे उसकी प्रश्नगत मामले में संलिप्तता आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होती हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त पर आरोपित आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई अभिमत दिए बिना मैं आवेदक/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाता हूॅ तथा आवेदक/ अभियुक्त प्रिन्स कालू उर्फ प्रिन्स कुमार सबिता पुत्र बबलू उर्फ राजेश कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 870/ 2026 खारिज होने योग्य है।

आदेश

09– आवेदक/ अभियुक्त प्रिन्स कालू उर्फ प्रिन्स कुमार सबिता पुत्र बबलू उर्फ राजेश कुमार के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 227/2017, धारा 363, 366ए भारतीय दंड संहिता, थाना गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज के प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 870/2026 खारिज किया जाता है।

दिनांक–01–06–2026

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– एक, कासगंज
(J.O. I.D. No. UP 6095)